

**न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.**

6

कारण जसिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... वनाम .....

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 एलआर सुपट

प्रकरण संख्या :- RA/16/18

निर्णय दिनांक :- 23/2/19

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम मासारी की सहायता, 1225 कुल रकमा 0-78 किराना जमीन गौरी में से 0-01 रकमे पर से 6-78 पर अमानिस्कृत खप से अतिप्रमाण कर कोटकर कब्जा कर लिया है। इस मर पटवारी हल्का मासारी द्वारा दिनांक 4/6/18 को उसके विरुद्ध याचनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मर तारीख भू.अ.निरी. दासी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिप्रामी कोटकर जाति मासारी निवासी मासारी को भू. सारथ अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शानिल पत्रावली किया गया। अतिप्रामी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शानिल पत्रावली से।

उक्त रकमा आ.ख.न. 1225 रकमा 0-78 में से 0-01 रकमे किराना 1225 से जो निरामन के साथ ली है किहाजा औरसाथम का अतिप्रामित रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाते है एवं दण्ड स्वरुप जमान 9 paise का 50 गुणा 5/- रकमे पैनल्टी आरोपित की जाती है मांचा कायमी हेतु सीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी तसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी मासारी भू.अ.निरी. दासी को लिखा जाकर बाद तकगील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)

अतिप्रामी :- प. ह.

रा. वि. सं. 4 क 195 म. 40 ..... 10  
नं 9018-19 ..... 57  
जो कायमी की गई

12/3/19

तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)